न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / आरटीआई / 23 / 2022

विनय शर्मा पुत्र स्व0 चरनलाल शर्मा, मै0 फोर्ट फिलिंग स्टेशन,सेवर (भरतपुर)।

बनाम

प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश

दिनांक 07.04.2022

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट श्री विनय शर्मा पुत्र स्व0 चरनलाल शर्मा, मै0 फोर्ट फिलिंग स्टेशन,सेवर (भरतपुर) ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 14.02.2022 के द्वारा प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से सूचना चाही गयी थी। प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 185 दिनांक 29.03.2022 के द्वारा प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। इस संबध में प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से उनके पत्र कमांक / राजस्व / आरटीआई / 2022 / 2188 दिनांक 05.04.2022 के द्वारा जबाब प्राप्त हुआ जो शामिल मिसिल किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी ने अपील में कथन किया है कि आरटीआई के तहत चाही गई सूचनाऐं प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। अपीलान्ट ने प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से वांछित सूचनाऐं उपलब्ध कराने का निवेदन किया है। प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर के पत्र कमांक / राजस्व / आरटीआई / 2022 / 2188 दिनांक 05.04.2022 का अवलोकन किया गया। पत्र के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलार्थी को सूचनाओ बाबत् कार्यालय में उपस्थित होकर सूचना चिन्हित करने हेतु सूचना दी गई हैं। प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर ने अपने कथनों की ताईद में पत्र कमांक / राजस्व / आरटीआई / 2022 / 1814 दिनांक 16.03.2022 की प्रति भी भिजवाई गई है। स्पष्ट है कि रेस्पा. ने अपीलांट को वांछित सूचना चाहने बाबत् सूचना उपलब्ध करा दी गई हैं।

अस्तु अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से प्राप्त पत्रादि की प्रति संलग्न कर) प्रेषित की जावे। निर्णय की प्रति प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर को भी भेजी जावे।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर भरतपुर